रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1975/भाद्र 15, 1897

No. 250] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1975/BHADRA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September 1975

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Food Corporations Rules, 1965, in rule 11, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(6) The term of office of the Secretary shall be five years from the date of his assumption of office as Secretary or upto his reaching the age of 58 years whichever is earlier or such term in the case of officers appointed from other services as may be prescribed in the terms of deputation on foreign service.".

[No. F. 2-1/75-FC-I]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 485(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य निगम (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य निगम नियम, 1965 में, नियम 11 में, उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(6) सचिव की पदावधि, उसके सचिव के रूप में पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इन में से जो भी पूर्वतर हो, होगी या अन्य सेवाओं से नियुक्त अधिकारियों की दशा में ऐसी अवधि होगी जो, पर सेवा में प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों में विहित की जाए।"।

[फा० सं० 2-1/75-एफ० सी०-1]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975